

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(D-259) अलेसे-I/1495

दिनांक:- 12-01-2026

आदेश

पुलिस अधीक्षक, प्रशासन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/3/अशा/2025/530-31 दिनांक 09.04.2025 से श्री दिनेश बावल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनंक नं. 9144) कार्यालय, उपकोषाधिकारी, रानी, पाली को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वारा दिनांक 09.04.2025 को रिश्वत मांगने के सह आरोप में गिरफ्तार किए जाने एवं इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 91/2025 पंजीबद्ध करने की सूचना प्रेषित की गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वारा उनको गिरफ्तार करने की दिनांक 09.04.2025 से इस निदेशालय आदेश क्रमांक 16-27 दिनांक 16.04.2025 के द्वारा निलम्बित किया जाकर मुख्यालय कोषालय, कोटा किया गया था।

श्री बावल को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री बावल द्वारा निर्वाह भत्ता बढ़ाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री दिनेश बावल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

15/2/26
9/1/2026
(संध्या शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(D-259) अलेसे-I/1495

दिनांक:- 12-01-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
- 3 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली।
- 4 कोषाधिकारी, कोटा।
- 5 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 श्री दिनेश बावल, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, मुख्यालय-कोषाधिकारी, कोटा।
- 7 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 8 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

7/2/26
(लखपत मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)